न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर।

पीठासीन अधिकारी, श्री बी.एल.मेहरड़ा, आर0ए0एस0
अपील संख्याः—258 / 2017 (2017 / 00258)223 / ब्यावर

1. भोला पुत्र श्री नसीबा (पुत्र कज्जा) जाति मेहरात निवासी ग्राम लाखिना, पंचायत सुहावा तहसील ब्यावर जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. सोहन पुत्र नसीबा (पुत्र गमीरा) मृतक जरिये वारिसानः—
   1 / 1 श्रीमती मीरा पत्नि सोहन
   1 / 2 सुरेन्द्र पुत्र सोहन
   1 / 3 शैतान पुत्र सोहन
   1 / 4 भंवरी पुत्री सोहन
   1 / 5 हसीना पुत्री सोहन
   1 / 6 शीला पुत्री सोहन
   1 / 7 सीमा पुत्री सोहन समस्त मेहरात ग्राम लाखिना, पंचायत—सुहावा, तहसील ब्यावर जिला अजमेर ।
2. श्रीमती डाली पुत्री नसीबा पत्नि अमरा चीता
3. श्रीमती कोया पुत्री नसीबा पत्नि छोटू चीता
   समस्त जाति मेहरात निवासी ग्राम लाखिना, पंचायत—सुहावा तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
4. राज.सरकार जरिये तहसीलदार, मसूदा जिला अजमेर।
5. हल्का पटवारी, नीमगढ़ तहसील मसूदा जिला अजमेर।
6. सरपंच, ग्राम पंचायत, श्यामगढ़ तहसील मसूदा जिला अजमेर।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम— 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.05.2014, वाद संख्या 06 / 2009.

उपस्थितः—

1. श्री शौकिन्द लाल गुर्जर, एड़वोकेट अपीलांटस की ओर से।
2. श्री जी0एस.लखावत, एड़वोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 1 / 1 से 3 की ओर से।
3. श्री धर्मवीर चौधरी एड़वोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 04 से 06की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 31.10.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी,मसूदा, जिला अजमेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 09.05.2014 के विरूद्ध पेश की गयी है।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी / अपीलांट ने प्रतिवादी / रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा में स्थित साबिक खसरा नम्बर 111, 112 रकबा 3—03—00 के हाल खसरा नम्बर 463 / 3, 447, 448, 450, 460, 461, 462, 463 / 1 कुल किता 8 कुल रकबा 0.6275 है. के तत्कालिन खातेदार काश्तकार प्रतिवादी / रेस्पोडेन्ट संख्या 01से 03 के पूर्वज नसीबा पुत्र गमीरा की खातेदारी काश्तकारी की आराजीयात थी, जिन्होने वर्तमान अपीलांट भोला पुत्र नसीबा वल्द कज्जा को दिनांक 04.01.1963 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा आराजी का बेचान करने के बाद काबिज खातेदार चले आ रहे है किन्तु राजस्व अभिलेख में इन्द्राज नहीं होने के कारण प्रतिवादीगण के नाम दर्ज

इन्द्राज की आड़ में रहन, बेचान करने में आमादा है एवं कब्जे काश्त दखल अंदाजी करने में आमादा है इसलिए उक्त आराजी का इन्द्राज दुरूस्त कर, वादी को खातेदार घोषित फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। वाद के विचाराधीन रहते प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का स्वर्गवास होने पर प्रकरण वादी/अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 जा.दी. का दिनांक 03.04.2014 को प्रस्तुत किया गया, जिसको अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा दिनांक 03.04.2014 को 500/– रूपये कोस्ट पर स्वीकार करनेका आदेश प्रदान किया। उपरोक्त कोस्ट अदायगी होने पर प्रार्थना पत्र पर वाद तलबी बाबत् नियत किया। तत्त्पश्चात बिना किसी प्रार्थना पत्र के व तलबी पत्रावली विचाराधी होने के बाद भी पुनः विधि विरूद्ध जाकर दिनांक 09.05.2014 को पूर्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 जा.दी. का दिनांक 03.04.2014 को निर्णित होने के बाद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली बिना किसी प्रार्थना पत्र के दिनांक 09.05.2014 वादी का अबेटमेन्ट के आधार पर कानून की मंशा के विरूद्ध जाकर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 09.05.2014 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस को तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट उपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरान्त प्रकरण में अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट के अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी।

1. अपील के साथ अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.05.2014 की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 03.10.2017 को प्रकरण की जानकारी के बाबत् अभिभाषक से सम्पर्क किया जो उन्होने बताया कि आपके प्रकरण का निर्णय हो चुका है जबकि अभिभाषक की हिदायतअनुसार में प्रार्थी को प्रत्येक पेशी आने के लिए मना कर रखा जब आवश्यकता होगी तब पत्र व्यवहार से सूचित कर दिया जायेगा तथा प्रार्थी अशिक्षित एवं वृद्ध है, जो कानूनी प्रक्रिया के बारे में अनभिज्ञ है तथा अभिभाषक ने प्रार्थी को निर्णय की सूचना नहीं दी, प्रार्थी द्वारा उनके अभिभाषक से दिनांक 03.10.2017 को प्रकरण के बारे में पूछा तो उनके अभिभाषक द्वारा दिनांक 09.05.2017 को निर्णय आपके विपक्ष में हो गया, तब प्रार्थी द्वारा दिनांक 05.10.2017 को जरिये नकल हेतु आवेदन करने पर दिनांक 09.10.2019 को नकल प्राप्त कर अभिभाषक ने उक्त आदेश के विरूद्ध न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत करने की कानूनी सलाह दी।उक्त कारणों से अपील अविलम्ब पेश की जा रही है जिसे पेश करने में हुई उपरोक्त सद्भाविक देरी को क्षमा कर प्रार्थना पत्र को अन्दर मियाद शुमार कर गुणावगुण पर निर्णित किया जाने के आदेश प्रदान करावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष में आर.आर.टी. 2004(1) पेज 374, आर.आर.टी. 2005(1) पेज 16, आर.आर.टी. 2006(2) पेज 1082,आर.आर.डी. 1989 पेज 45, आर.आर.टी. 2005(1) पेज 589का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।
2. अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने जवाब प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि अपील लगभग ढ़ाई साल के विलम्ब से प्रस्तुत की गई है तथा प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताये गये है संतोषजनक नहीं है इसलिए प्रार्थना पत्र को खारिज किया जावे।
3. अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर मनन किया गया एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व प्रस्तुत नजीरो का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रार्थना पत्र में उल्लेखित कारणों पर विचार करने के उपरान्त न्यायहित में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता हैं तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती हैं।
4. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन पत्रावली को

जिस पर आधार पर निर्णित किया गया, उस बाबत् पत्रावली नियत ही नही थी, बरवक्त आदेशिका पत्रावली प्रतिवादीगण के तलबी में नियत थी तथा ना ही निर्णय के बिन्दू बाबत् कोई प्रार्थना पत्र था जबकि उक्त प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 03.04.2014 को ही 500/– रूपये की कोस्ट पर स्वीकार कर निर्णित कर दिया एवं वादी के द्वारा उसी दिन कोस्ट अदा की जा चुकी थी जो मूल प्रार्थना पत्र लेने की स्वीकार कर हस्ताक्षर अंकित किया गया। पूर्ण में पारित के आदेश के बाद आदेश की पालना करने के उपरान्त पुनः उसी बिन्दू को आधार बनाकर मूल वाद को खारिज करने में अविधिक त्रुटि कारित की है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश की आड़ में अपीलांट को हेरान परेशान कर स्वंय की खरीदशुदा खातेदारी की भूमि से महरूम करने पर विपक्षी आमादा है तथा न्यायालय में मात्र प्रकरण लम्बित किया जा रहा है जो कि प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं की गई। अपीलांट विवादित आराजी का सद्भावी क्रेता है अपने निहित हक व हिस्से की आराजी पर काबिज है किन्तु रेस्पोडेन्ट विक्रेता के वारिसान है जो वादग्रस्त आराजी के बेचान होने पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 के तहत खातेदारी अधिकारी समाप्त हो जाते है जो रेवेन्यू एजेन्सी द्वारा रेस्पोडेन्ट के नाम गलत इन्द्राज किया गया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.05.2014 को निरस्त फरमाया जावें एवं वादी/अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को गुणावगुण पर स्वीकार कर निर्णय एवं डिक्री किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

5. अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने जवाब बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 09.05.2014 विधिसम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण/अपीलांट को प्रतिवादी संख्या 01 की मृत्य की जानकारी दिनांक 10.03.2010 को होने के उपरान्त जानकारी के दिनांक 03.04.2013 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 जा.दी. सपठित धारा151 जा.दी. पेश किया। जिस पर प्रतिवादीगण द्वारा आपत्ति की गई। इसलिए प्रतिवादी संख्या 01 की हद तक वाद को अबेट किया गया है तथा अभिभाषक वादीगण के द्वारा प्रतिवादी संख्या 2, 3 की तलबी में प्रकरण 5 साल से लम्बित होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय ने अन्तर्गत आदेश 09 नियम 5 जा.दी. के तहत् वादी के वाद को खारिज किया है जो विधि सम्मत है। अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में केवल आदेश 22 नियम 4 जा.दी. बाबत् कथन किया एवं आदेश 09 नियम 5 जा.दी. के कथन नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा का निर्णय दिनांक दिनांक 09. 05.2014 विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपील अपीलांट खारिज की जावे।

6. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अपीलांट का दौराने बहस कथन रहा है कि अधी0न्याया0 द्वारा अपीलांटस को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 के समक्ष वादी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 जा0दी0 पेश किया गया था जिसे अधी0न्याया0 द्वारा दिनांक 3.4.2014 को प्रतिवादीगण के अभिभाषक की सहमति से 500/–रू0 की कोस्ट पर स्वीकार कर प्रतिवादी संख्या के वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने के आदेश पारित किये थे तत्पश्चात् पत्रावली तलबी हेतु नियत होकर आगामी तारीख पेशी दिनांक 8.5.2014 नियत की गई । इसके उपरांत अधी0न्याया0 द्वारा दिनांक 9.5.2014 को पुनः प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 जा0दी0 के आधार पर वादी/अपीलांट के वाद को अबेट मानकर खारिज कर दिया । जब अधी0न्याया0 द्वारा एकबार प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 जा0दी0 को प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर 500/–रू0 की कोस्ट पर स्वीकार कर प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने के

आदेश पारित कर दिये थे तो पुनः उसी प्रार्थना पत्र बाबत् बिना किसी नजरसानी प्रार्थना पत्र के उक्त आवेदन पत्र को स्वीकार कर वाद खारिज नहीं किया जा सकता था । अधी0न्याया0 ने वादी/अपीलांट के वाद को अबैटमेंट के आधार पर खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है एवं जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा नंबर 111 एवं 112 रकबा 3–3–00 बीघा वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत छाया प्रति बेचाननामा दिनांक 4.1.1963 के अनुसार नवीन खसरा नंबर का मिलान नहीं होना मानकर बिना साक्ष्य एवं सबूत लिये वाद को खारिज किया गया है जिसे न्यायहित में उचित नहीं माना जा सकता है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है ।

7. उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।
8. अतः अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा का निर्णय व डिक्री दिनांक 9.5.2014 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्ष का साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. आदेश आज दिनाक 31.10.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर